

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री
दानबहादुर वर्मा



पैरोकार का० दिलीप
कुमार

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे operation conviction अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोगों में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 13.08.2015 वादिनी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने व मारने पीटने की सूचना पर मु०अ०सं० 902/15 धारा 452, 376, 323 भादवि थाना जगदीशपुर पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 08.05.2025 को माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी-1 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25,000 ₹ के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ❑ अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।
- ❑ अभियुक्त को 25,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- अकील उर्फ शमीम पुत्र अब्दुल हामिद निवासी पूरे मंजूर शाह मजरे हंसवा सुखन थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी